



Neutral Citation No. - 2026:AHC:12115

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9000 / 2026

रामेश कुमार

.....आवेदक/याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अदिति श्रीवास्तव, कंदर्प श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कंदर्प श्रीवास्तव की ओर से ब्रीफ धारण किए हुए श्री देवाश शुक्ला, अधिवक्ता, तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. सिंह को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 19 / 2026, थाना पाकबड़ा, जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एन.डी.पी.एस. एक्ट) की धारा 8/20/29/60 के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किया जाए।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है तथा कथित बरामदगी वाहन से हुई है और आवेदक तथा 3 अन्य सह-अभियुक्तगण वाहन के अंदर पाए गए थे तथा आवेदक उक्त वाहन को चला रहा था। तथापि, आवेदक को यह जानकारी नहीं थी कि उक्त वाहन में गांजा ले जाया जा रहा था। यह भी निवेदन किया गया है कि भारत सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के नियम 9, 10 एवं 11 के अनुसार नमूने नहीं लिए गए हैं तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह भी शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नियम 14 का उल्लंघन है। यह भी निवेदन किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। आवेदक दिनांक 28.01.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मुकदमों की अत्यधिक लंबितता को देखते हुए विचारण के शीघ्र निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया गया है तथा यह निवेदन किया गया है कि भारत सरकार द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के नियम 9, 10 एवं 11 के अनुसार नमूने नहीं लिए गए हैं, वाहन से वाणिज्यिक मात्रा में गांजा बरामद हुआ है तथा आवेदक उक्त वाहन का स्वामी एवं चालक है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अनुसार, वाहन से 113.260 किलोग्राम गांजा बरामद होना कहा गया है तथा आवेदक उक्त वाहन को चला रहा था। आवेदक तथा 3 अन्य सह-अभियुक्तगण वाहन के अंदर पाए गए थे और यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान आवेदक से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है तथा भारत सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के नियम 9, 10 एवं 11 के अनुसार नमूने नहीं लिए गए हैं तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह भी शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नियमों के नियम 14 का उल्लंघन है। यह भी निवेदन किया गया है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया गया है। आवेदक दिनांक 28.01.2026 से जेल में निरुद्ध है तथा आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति तथा अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 37 के प्रावधान एवं **नदीम अहमद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2025 लॉसूट (एस.सी.) 1134 (2025 आई.एन.एस.सी. 993)** तथा **भारत संघ बनाम शिव शंकर केसरी, (2007) 7 एस.सी.सी. 798** में प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत हेतु उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।



8. आवेदक- **राकेश कुमार** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभुओं के प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) विचारण के प्रारम्भ, (ii) आरोप विरचित किए जाने तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अंकित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिन तिथियों पर साक्ष्य हेतु साक्षीगण विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, उन तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रयोजन तक सीमित है तथा इसे किसी भी प्रकार से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बात से अप्रभावित रहते हुए अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

2 जून, 2026

इम्तियाज़

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।